ज़ईफ़ (कमज़ोर) अहादीस के अहकाम

ज़ईफ़ (कमज़ोर) हदीस के मसले पर 17-19 अप्रेल 1999 ई0 (29 ज़िलहिज्जा 1419 हि0 - 2 मुहर्रम 1420 हि0) को पटना में आयोजित फ़िक्ह एकेडमी के 11वें सेमीनार में विचार विमर्श किया गया और निम्न प्रस्ताव पारित हुए।

1- इस विषय पर विचार करते हुए सेमिनार इस नतीजे पर पहुंचा है कि इस ज़मानें में आलिमों के बीच इस मामले में बहुत.ज्यादा इफ़रात-व-तफ़रीत (न्याय संगत न होना हद से.ज्यादा बढा हुए) पाया जाता है। कुछ लोगों का हाल यह है कि उन्होंने हर तरह की विश्वसनीय और अविश्वसनीस रिवायतों को सही और प्रमाणित रिवायत का दर्जा दे रखा है। हालांकि अल्लाह के रसूल (स॰) ने फ़रमायाः

"जिसने कोई झूठी बात जान बुझ कर मेरी तरफ गढी, उसका ठिकाना जहन्नम (नरक) है।"

दूसरी तरफ़ ऐसे लोग हैं जो केवल किसी हदीस की सनद (प्रमाणिकता) के कमज़ोर (ज़ईफ़) होने के आधार पर ही उसे बिल्कुल अविश्वसनीय और रद करने के क़ाबिल समझते हैं हांलाकि ज़ईफ़ हदीसें भी कुछ अवसरों पर क़ुबूल की जाती हैं। किसी हदीस की सनद कमज़ोर होने से यह ज़रूरी नहीं है कि उसमें कही गयी बात भी क़ाबिले क़बूल न हो।

2- जो रिवायतें गढी हुई (मोज़ूअ) हैं वे बिल्कुल अविश्वसनीय हैं। न उनसे कोई तर्क दिया जा सकता है और न इस बात को स्पष्ठ किए बिना कि वह गढी हुई है, उन्हें बयान करना जायज़ है लेकिन किसी हदीस की सनद में कोई रिवायत करनेवाला ऐसा हो जिसके बारे में यह मालूम हो कि वह गढी हुइ हदीस बयान करता है तो उस हदीस की जब तक दूसरे तरीकों से जांच न कर ली जाए, केवल इस कारण हदीस को गढा हुआ कहना ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि किसी और सनद से भी यह हदीस नकल की गयी हो जिसमें हदीस के ब्यान करनेवाले का नाम न आया हो।

3- अगर किसी हदीस को बहुत से फ़क़ीहों, इजतेहाद करनेवाले आलिमों और हदीस के माहिरों ने तर्क के रूप में नक़ल किया हो या रिवायत पर अमल करने का निर्देश दिया हो, या उस हदीस को रद करने के बजाए उसके मज़मून में तावील (मतलब निकालने) का रास्ता अपनाया हो और ज़ाहिर होने वाले अर्थ के बजाए दूसरा मतलब सुनिश्चित किया हो तो यह हदीस की शब्दावली के अनुसार तलक्क़ी बिल-क़ुबूल (व्यापक परिपेक्ष में कबूल किया हुआ) माना जाएगा।

4- तलक्क़ी बिल–क़ुबूल की वजह से कमज़ोर सनद वाली हदीसें भी मक़बूल का दर्जा हासिल कर लेती हैं।

5- तलक्क़ी बिल-क़ुबूल के अलावा सही हदीस और सहाबा के फ़तवों से मेल खाने के आधार पर भी ज़ईफ़ हदीसें विश्सवनीय हदीस का दर्जा हासिल कर लेती हैं।

6- जिन हदीसों की रिवायत करनेवालों पर झूठे और फ़ासिक़ होने का इल्ज़ाम न हो, लेकिन उनकी

याददाश्त की कमज़ोरी के आधार पर उनकी रिवायत की हुई हदीस ज़ईफ़ हो उनके लिए तअद्दुदे तुरुक़ बेहतर है। (यानि ऐसी हदीसों को उस मज़मून की दुसरी हदीसों से मिलाकर देखा जाए) लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि दूसरे तरीक़े में भी रिवायत करनेवाले पर केवल याददाश्त की कमज़ोरी का ही आरोप हो, झूठ और फ़िस्क़ का आरोप न हो। ऐसी ज़ईफ़ हदीसें जो क़ुरआन या किसी प्रमाणित हदीस से टकराती हों या जिनके ज़ईफ़ होने का आधार रिवायत करनेवाले पर झूठ या फ़िस्क़ का आरोप होना हो, तो ऐसी हदीसें न तो अहकाम बयान करने के लिए विश्वसनीय होंगी और न फ़ज़ाइल बयान करने के लिए।

7- तरग़ीब व तरहीब यानि नेक कर्म के लिए उत्साह बढाने और बुरे काम के नतीजों से डराने के मामलों में ज़ईफ़ रिवायातों पर विश्वास किया जाएगा, लेकिन इस शर्त के साथ कि उनकी सनद बहुत .ज्यादा कमज़ोर न हो और वह हदीस शरीअत के किसी आम क़ायदे के तहत हों। ऐसी हदीस पर अमल करते हुए उसमें बयान किए हुए सवाब या गुनाह की चिंता तो हो लेकिन पूरे यक़ीन के साथ उसे माना न जाए।

8- इस ज़माने में ज्ञान के स्तर के पतन को देखते हुए यह सिफ़ारिश की जाती है कि उलमा अपनी तहरीरों और तक़रीरों में सही व प्रमाणित हदीसों को ही बयान करें। अगर कहीं किसी ज़ईफ़ हदीस का बयान ज़रूरी हो तो चाहिए कि उस हदीस का दर्जा और स्थान भी स्पष्ठ करें ताकि ज़ईफ़ और निराधार रिवायतों के बयान का चलन न हो।

9- ऐसी हदीसें जो सनद के लिहाज़ से कमज़ोर हों लेकिन उनकी कमज़ोरी का आधार बयान करनेवालों की याददाश्त की कमज़ोरी हो, ना कि चरित्र की कमज़ोरी, और वह हदीसें किसी प्रमाणित हुक्म से न टकराती हों, उनसे एहतियाती अहकाम यानि किसी अमल की कराहियत (घिन्नता) या किसी अमल का मुस्तहब होना (पुण्य) साबित किया जा सकता है।

10- जिन अहकाम में कोई दूसरी शरई दलील मौजूद न हो, उनमें ऐसी कमज़ोर सनदों वाली हदीसों से दूसरे आदेश भी साबित किए जा सकते हैं। ऐसी हदीसें इल्लते-ग़ैर-मन्सूसा (क़ुरआन व हदीस के बजाए फ़िक़्ह के सिद्धांतों) पर अधारित क़ियास (कल्पना या अंदाज़) से अफ़ज़ल व बेहतर हैं। यह एक व्यापक मान्यता है यानि बुज़ुर्गों का सामूहिक मसलक है।

☆☆☆

नोटः इस प्रस्ताव के बिन्दू 9 और 10 से मौलाना अब्दुल्लाह जोलम साहब ने इत्तेफ़ाक़ नहीं किया है और खुद को इससे अलग रखा है।